राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–31/2023

शगूफा बेगम बनाम् तरन्नुम।

यह वाद श्रीमती शगूफा बेगम, पिता–मो0 अख्तर हुसैन, पता–भेलखुआ, प्रखण्ड–बैसा, जिला–पूर्णियाँ द्वारा श्रीमती तरन्नुम, पति–श्री शोएब, पिता–मो0 अली मुजफ्फर, पता–ग्राम–खपड़ा, पोस्ट–पियाजी, जिला–पूर्णियाँ(वर्तमान मुखिया, खपड़ा ग्राम पंचायत, प्रखण्ड–बैसा, जिला–पूर्णियाँ) के विरुद्व बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 सह पठित धारा–136(2) के तहत गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ लेते हुए, मुखिया के पद पर निर्वाचित होने के आरोप के आधार पर खपड़ा ग्राम पंचायत, प्रखण्ड–बैसा, जिला–पूर्णिया के मुखिया के पद से हटाने/निरर्हित करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई में वादी श्रीमती शगूफा बेगम का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती तरन्नुम की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री मजहर आलम द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री राज कुमार एवं श्री संजय कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ तथा श्री राजीव रंजन प्रकाश, वरीय उप समाहर्त्ता, पूर्णियाँ, को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्रीमती तरन्नुम जो कि खपड़ा ग्राम पंचायत, जिला–पूर्णियाँ की वर्तमान मुखिया हैं, उनके द्वारा गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर अत्यन्त पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित मुखिया पद पर आरक्षण का लाभ लेते हुए, निर्वाचन में विजय प्राप्त की गई है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा उनके पूर्वज शेख हाजी हिफाजत हुसैन के सतत् खतियान के छायाप्रति का अवलोकन कराया गया, जिसमें जाति **"शेख"** अंकित है। आगे उनके द्वारा एक कैवाला जो कि इनके पिता श्री अली मुजफ्फर हुसैन के नाम पर Execute किया गया है, में जाति **"सूर्जापुरी मुसलमान"** अंकित है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके पूर्वजों की दोनों अंकित जातियाँ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–01) में सम्मिलित नहीं है। आगे उनके द्वारा अपने दावें के समर्थन में आयोग को अंचलाधिकारी, अमौर के पत्रांक–371, दिनांक–26.03.2022 का अवलोकन कराया गया, जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैसा को सम्बोधित है। अंचलाधिकारी, अमौर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि:–

"श्रीमती तरन्नुम के जाति के संबंध में गहन जाँचोपरांत एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उल्लेखित है कि डीड सं0–5294, दिनांक–19.09.2016 में श्रीमती तरन्नुम के पिता– अली मुजाफ्फर का जाति **"सूर्जापुरी मुसलमान"** अंकित किया गया है, पुनः जिला अभिलेखागार, पूर्णियाँ से दिनांक–31.12.2021 को निर्गत वर्ष–1958 के खतियान में अली मुजफ्फर के

पिता–शे0 हाजी हीफाजत हुसैन का जाति **"शेख"** अंकित पाया गया है तथा जिला निबंधन कार्यालय, पूर्णियाँ के अभिलेखागार से निर्गत प्रतिलिपि में अली मुजफ्फर के पिता शे0 हाजी हीफाजत हुसैन का जाति **"मुसलमान मीर"** अंकित पाया गया।

अतः उपरोक्त जाँच एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर श्रीमती तरन्नुम, पति–सोएब, पिता–मो0 अली मुजफ्फर, ग्राम– तालबाड़ी, पंचायत तालबाड़ी के द्वारा बनाये गए **"मिरयासिन"** जाति का प्रमाण–पत्र प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होता है।"

आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दावा किया गया कि उक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा अपनी जाति बदल कर गलत जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया है तथा उनके द्वारा इसके आधार पर आरक्षण का लाभ लेते हुए, मुखिया के पद पर विजय प्राप्त की गई है।

अतः उनके द्वारा प्रतिवादी के जाति प्रमाण–पत्र को रद्द किये जाने हेतु इसे राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को प्रेषित किए जाने का अनुरोध किया गया।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि सीमान्चल क्षेत्र में शेख जाति सूचक शब्द नहीं है, बल्कि मुसलमानों में उस क्षेत्र में शेख लिखना आम प्रचलन है। जहाँ तक प्रतिवादी के पिता के कैवाला में इनकी जाति **"सूर्जापुरी मुसलमान"** अंकित होने का प्रश्न है, तो यह कातिब के गलती के कारण अंकित है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल की जाति के अनुसार ही उनका जाति प्रमाण–पत्र बनाया गया है, जो कि सही है।

5. आयोग द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के प्रतिवेदन पत्रांक–1285/जि0 पं0, दिनांक–05.07.2023 का अवलोकन किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी तरन्नुम की जाति प्रमाण–पत्र शपथ–पत्र, कैवाला एवं स्थलीय जाँच के आधार पर निर्गत किया गया है, जबकि उनके पूर्वजों का खतियान उपलब्ध है। इस प्रकार अंचलाधिकारी, अमौर द्वारा जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–673, दिनांक–08.03.2011 के कंडिका–9.1 का उल्लंघन कर जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। इसी कारण बाद में पदस्थापित अंचलाधिकारी, अमौर द्वारा जाति प्रमाण–पत्र संख्या–BCCO/2021/2499729, दिनांक–17.04.2021 के प्रमाणिकता को संदेहास्पद करार किया है।

भिन्न–भिन्न खतियानों/कैवाला में प्रतिवादी के पूर्वजों(दादा/परदादा/पिता) की जाति भिन्न–भिन्न अंकित है। अतः प्रथम दृष्ट्या श्रीमती तरन्नुम की जाति निर्विवादित नहीं था, जबकि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136 के तहत अयोग्यता से संबंधित विचार हेतु श्रीमती तरन्नुम की जाति का निर्धारण आवश्यक था।

उक्त वर्णित स्थिति में बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–1567, दिनांक–05.02.2014 तथा **माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा रजनी कुमारी वाद** एवं C.W.J.C. No.19084/2021, बैजनाथ सिंह बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य मामलें में दिनांक–21.06.2022 को पारित न्याय निर्णय तथा के आलोक में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग,

पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्रों के जाँच हेतु गठित कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) को निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्रवाई हेतु मामलें को संदर्भित करते हुए अनुरोध किया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के उक्त संकल्प के आलोक में अधिकत्तम 03 माह में प्रतिवादी श्रीमती तरन्नुम की जाति का विनिश्चय किया जाए, यदि प्रतिवादी की जाति गलत पायी जाती है, तो संकल्प ज्ञापांक–1567, दिनांक–05.02.2014 के कंडिका–4 (ग) एवं C.W.J.C. No.19084/2021, बैजनाथ सिंह बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य मामलें में दिनांक–21.06.2022 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में उनके सभी गलत जाति प्रमाण–पत्र निरस्त किये जाए एवं यदि प्रतिवादी की जाति गलत पायी जाती है, तो संकल्प ज्ञापांक–1567, दिनांक–05.02.2014 के कंडिका–4 (ग) के आलोक में गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए एवं जालसाजी में संलग्न तत्कालीन अंचलाधिकारी, अमौर, पूर्णियाँ तथा संबद्ध राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

6. राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) द्वारा ज्ञापांक–11/आ0जा0–26/2023 सा0प्र0–8669, पटना–15, दिनांक–03.06.2024 द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका प्रभावकारी अंश प्रतिवेदन के पारा–07 में अंकित है, जो निम्नवत् हैः–

"सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद श्रीमती तरन्नुम द्वारा राज्य स्तरीय जाति विनिश्चयन समिति के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखा गया, जिसके कारण समिति के सभी सदस्यों द्वारा मतैक्य के आधार पर अपराध अनुसंधान विभाग के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए यह निर्णय लिया गया कि श्रीमती तरन्नुम, पति–शोएब, पिता–श्री मो0 अली मुजफ्फर, ग्राम–खपड़ा, पोस्ट–पियाजी, जिला–पूर्णियाँ द्वारा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची–01) के अन्तर्गत किए जा रहे मिरियासीन(मुस्लिम) जाति के दावे को सर्वसम्मति से खारिज किया जाता है।"

7. राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन पर वादी एवं प्रतिवादी का पक्ष जानने हेतु आयोग द्वारा उभयपक्षों को अवसर प्रदान किया गया, जिसका सार निम्नवत् हैः–

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) का प्रतिवेदन Conclusive नहीं है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि यदि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रतिवेदन के पारा संख्या–05 का अवलोकन किया जाएगा, तो स्पष्ट किया गया है कि अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा अपने प्रतिवेदन में उनके मुवक्किल के जाति प्रमाण–पत्र पर मात्र संदेह व्यक्त किया है, जो कि इस अंतिम प्रतिवेदन का आधार है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा उनके पक्ष को बिना सुने प्रतिवेदन दे दिया गया। उनके द्वारा उक्त प्रतिवेदन के गवाहो को भी प्रश्नगत् किया गया। आगे उनके द्वारा अपने पूर्व के तर्कों को

दुहराया गया तथा आयोग को बताया गया कि सीमान्चल क्षेत्र में शेख जाति सूचक शब्द नहीं है, बल्कि मुसलमानों में उस क्षेत्र में शेख लिखना आम प्रचलन है। जहाँ तक प्रतिवादी के पिता के कैवाला में इनकी जाति **"सूर्जापुरी मुसलमान"** अंकित होने का प्रश्न है, तो यह कातिब के गलती के कारण अंकित है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल की जाति के अनुसार ही उनका जाति प्रमाण–पत्र बनाया गया है, जो कि सही है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के उक्त तर्कों का खण्डन किया गया तथा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के जाति के संबंध में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है कि प्रतिवादी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–01) के अन्तर्गत **"मिरयासिन(मुस्लिम)"** जाति से संबंधित नहीं है। उनके द्वारा इसी जाति के नाम से प्रमाण–पत्र निर्गत कराकर आरक्षण का लाभ प्राप्त किया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी स्वयं **"सूर्जापुरी मुसलमान"** के रूप में अपनी जाति कैवाला में अंकित करती हैं, जबकि इनके पूर्वजों की जाति **"शेख"** है, जिसका प्रमाण उनके द्वारा दिया जा चुका है। उक्त दोनों जाति पंचायत में आरक्षण प्राप्त करने हेतु अधिसूचित नहीं है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के कंडिका–06 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी को बचाव हेतु अवसर दिया गया था, परन्तु वे सुनवाई में अनुपस्थित रहीं है। प्रतिवादी की जाति जिसके आधार पर उन्होंने आरक्षण का लाभ प्राप्त किया है, राज्य स्तरीय कारट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। अतः इन्हें पद से हटाया जाना चाहिए।

8. **आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ का प्रतिवेदन तथा राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि (निदेशालय) के निर्णय का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–**

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती तरन्नुम (वर्तमान मुखिया, खपड़ा ग्राम पंचायत, प्रखण्ड–बैसा, जिला–पूर्णिया) द्वारा पिछड़ा वर्ग अनुसूची–01 का सदस्य नहीं होने के बावजूद पिछड़ा वर्ग अनुसूची–01 हेतु आरक्षित मुखिया के पद पर बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा–135 का उल्लंघन कर खपडा ग्राम पंचायत, प्रखण्ड–बैसा, जिला–पूर्णिया के मुखिया के पद पर निर्वाचित होने से संबंधित है।"

विचाराधीन वाद में राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) का निर्णय प्राप्त है, जिसके अनुसार **श्रीमती तरन्नुम, पति–शोएब, पिता–श्री मो0 अली मुजफ्फर, ग्राम–खपड़ा, पोस्ट–पियाजी, जिला–पूर्णियाँ द्वारा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग(अनुसूची–01) के अन्तर्गत किए जा रहे मिरियासीन(मुस्लिम) जाति की सदस्या नहीं है।**

रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार एवं अन्य (L.P.A. No. 566/2017) मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा दिनांक–17.09.2019 को पारित न्याय–निर्णय के आलोक में ऐसे मामलो में जाति निर्धारण हेतु Apex Fact Finding body राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी(निदेशालय) के निर्णय के आलोक में ही आयोग द्वारा वाद का निस्तारण किया जाना है। अतः आयोग वादी के तर्कों से सहमत है कि जाति के मामले में राज्य के Apex Fact Finding body का निर्णय प्राप्त है, अतः आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवादी को पदमुक्त किया जाए।

यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(2) के तहत त्वरित निष्पादन का अनुदेश अंकित है। मामले में नैसर्गिक न्याय के तहत आयोग द्वारा प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के निर्णयानुसार श्रीमती तरन्नुम की जाति बिहार हेतु अधिसूचित पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–01) के अन्तर्गत नहीं आती है, इसके बावजूद इन्होंने मुखिया, खपड़ा ग्राम पंचायत, प्रखण्ड–बैसा, जिला–पूर्णिया के पद हेतु निर्वाचन में भाग लिया गया, जबकि उक्त पद पिछड़े वर्गों की सूची–01 में शामिल जातियों हेतु आरक्षित था। इस प्रकार बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 के परन्तुक के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के बावजूद उक्त पद (मुखिया) पर निर्वाचन नियमाकूल नहीं है। अतएव बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 सह पठित धारा–136(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन श्रीमती तरन्नुम को निरर्हित/अयोग्य घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से मुखिया, खपड़ा ग्राम पंचायत, प्रखण्ड–बैसा, जिला–पूर्णिया के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही मुखिया, खपड़ा ग्राम पंचायत, प्रखण्ड–बैसा, जिला–पूर्णिया का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रबाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय) के प्रतिवेदन से परिलक्षित होता है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी, अमौर, पूर्णियाँ एवं संबंधित राजस्व कर्मचारी श्रीमती तरन्नुम को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में विभागीय परिपत्रों एवं निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही साथ श्रीमती तरन्नुम द्वारा गलत जाति प्रमाण–पत्र का अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। अतः पदेन अध्यक्ष राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटि(निदेशालय)–सह–प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा संकल्प ज्ञापांक–1567, दिनांक–05.02.2014 के कंडिका–4 (ग) के आलोक में गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर लाभ प्राप्त करने हेतु प्रतिवादी के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करना तथा दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करना अपेक्षित/वांछनीय (Desirable) है।

(ग) जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ को प्रतिवादी के विरूद्ध गलत शपथ–पत्र के आधार पर निर्वाचन में भाग लेने हेतु एवं आरक्षण का लाभ प्राप्त

करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–125(A) के तहत नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
09.07.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
09.07.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–31/2023 पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग–सह– अध्यक्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण–पत्रों की जाँच हेतु गठित निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी
पटना, दिनांक–.....

ज्ञापांक–31/2023 2545 पटना, दिनांक– 9.7.24

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **पूर्णियाँ**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **पूर्णियाँ** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **पूर्णियाँ** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

09/7/24
विशेष कार्य पदाधिकारी